न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 77/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बंशी पत्नि बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी सदरी तहसील बाप जिला जोधपुर		01. श्रीमान तहसीलदार, बाप 02. शांयति पत्नि किशनाराम जाति विश्नोई नि. मण्डेर बाप जिला जोधपुर 03. ओमप्रकाश पुत्र बगताराम 04. तेजाराम पुत्र बगताराम 05. बंशीलाल पुत्र बगताराम 06. रघुनाथराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी जम्भशक्ति नगर, भाखरी तहसील ओसियां 07. अशोक पुत्र हीराराम जाति विश्नोई नि. वडिया तह. शेरगढ जिला जोधपुर 08. केशरकंवर पत्नि गुमानसिंह 09. पुष्पाकंवर पत्नि भंवरसिंह 10. फूलकंवर पत्नि पदमसिंह जाति राजपूत नि0 गुड़ा 11. सायरीदेवीपत्नि बीरबलराम पुत्री रिड़मलराम विश्नोई निवासी जैसलां त0 बाप 12. भीखी पत्नि माधाराम पि. कानाराम विश्नोई नि0 पीलवा त. लोहावट 13. [illegible] 14. [illegible] 15. [illegible] 16. भागीरथराम पुत्र किशनाराम 17. हरिराम पुत्र किशनाराम 18. हीराराम पुत्र रामचन्द जाति विश्नोई नि.क. सिड 19. अनोपसिंह पुत्र भूरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बाप
18.04.2023

जाति राजपूत नि. गुड़ा
तहसील बाप जिला जोधपुर

20. अजयकुमार पारख पुत्र रामलाल पारख

21. गर्वित पारख पुत्र अनिल पारख जाति जैन निवासी अरिहन्तनगर, गुरो का तालाब

22. सरादीन पुत्र सतार खां

23. मोहम्मदसलीम पुत्र सतारखां नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता सतार पुत्र अलाबचाया जाति मुसलमान निवासी बाप तह. बाप

24. शांति पतिन किशनाराम जाति विश्नोई नि. मण्डेर

25. रोशनी पत्नि हरसुखराम

26. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई नि. मण्डेर

27. सुखाराम पुत्र रामचन्द्रराम

28. हीराराम पुत्र रामचन्द्रराम जाति विश्नोई नि. भाखरी त. ओसियां जि. जोधपुर

29. सुखराम पुत्र मामराज जाति विश्नोईनि. डूंगरगढ

30. अब्दुलमजीद पुत्र हुसैनखां

31. असरफअली पुत्र हुसैनखां

32. अहमद खां पुत्र हुसैन खां

33. जमीयतखातु पुत्री हुसैनखां

34. जिन्नतखातु पुत्री हुसैनखां

35. नूरखातु पुत्री हुसैनखां

36. फतेखातु पत्नी हुसैनखां

37. [illegible] हुसैनखां

38. मोहम्[illegible]खां [illegible] हुसैनखां

39. [illegible] जाति सिन्धी मुसलमान निवासी [illegible] बाप

40. सरमाखातु पत्नि अ.मजीद जाति सिन्धी मुसलमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी-बाप
18.04.2023

निवासी बाप तह. बाप

41. कमलकिशोर पुत्र मोहनराम
जाति विश्नोई नि. पल्ली

42. किशनाराम पुत्र खमूराम

43. लक्ष्मणराम पुत्र खमूराम
जाति विश्नोई नि. दक्षिणी
ढाणी, रणीसर

44. बाली पत्नि महीराम
जाति विश्नोई नि. सुरपुरा

45. मोहनराम पुत्र बुधाराम
जाति विश्नोई नि. पल्ली

46. किशनी पत्नि सुखराम
जातिविश्नोई नि. सांवतसर

47. मनोहरराम पुत्र सांवताराम

48. कंवरलाल पुत्र धीमाराम

49. सुगनी पत्नि धीमाराम

50. सुरजाराम पुत्र धीमाराम
जाति विश्नोई नि. भाखरी

51. बुधराम पुत्र बगडूराम

52. भंवरलाल पुत्र बगडूराम

53. मालाराम पुत्र बगडूराम

54. रामलाल पुत्र बगडूराम
जाति विश्नोई नि. भाखरी

55. माधाराम पुत्र कानाराम
जाति विश्नोई नि. पीलवा

56. शांति पुत्री हरींगाराम
जाति विश्नोई नि. पीलवा

57. हीराराम पुत्र लाडूराम
जाति विश्नोई नि. वडीया

58. अमीयतखातुन पत्नि सरादीन
पुत्र हाजी अब्दुल रहमान
जाति [illegible] निवासी बाप

59. [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible]
जाति मुसलमान निवासी बाप

60. बिन्दूदेवी [illegible] पत्नि
गौतमचन्द जैन
निवासी साहीबाग अहमदाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप
18.04.2023

61. नूरदीन पुत्र कादर खां
62. रईमोहम्मद पुत्र हाजीखां
63. रफीक पुत्र हाजी खां
64 शबीरमोहम्मद पुत्र हाजीखां
जाति मुसलमान नि. शेखासर
65. भीखाराम पुत्र हरूराम
विश्नोई निवासी नि. क. सिड
तहसील बाप जिला जोधपुर

उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक:- 18.04.2023

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया ने ग्राम कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र
कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 2/2मि. में से रकबा 25-00 बीघा भूमि खरीद की
थी। उक्त भूमि पर खरीद के दिन से लेकर आज दिन तक प्रार्थीया का कब्जा व काश्त है
और प्रार्थीया ने अपनी उक्त खरीदसुदा भूमि पर रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं
का बाड़ इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीया अपनी उक्त रहवासी ढाणी में अपने परिवार
सहित निवास करती आ रही है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व
उपभोग करती आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक
12-05-1990 को खरीद की थी और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीददार प्रार्थीया के
पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण सं. 249 मौजा कल्याणसिंह की सिड दिनांक
28-05-1990 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ और उसी दिन प्रार्थीया ने मौके पर कब्जा प्राप्त
कर लिया जो कब्जा व काश्त आज दिन तक शांति पूर्वक लगातार चला आ रहा है और
प्रार्थीया के पक्ष में संवत 2043 से 2046 की जमाबंदी में खरीद अनुसार नामान्तरकरण का
अमलदरामद किया गया और आगामी जमाबंदी संवत 2047 से 2050 बनाते समय प्रार्थीया
का नाम दर्ज खसरा नम्बर 2/2मी. के स्थान पर [illegible] दिया गया
जो सरासर गलत है। इसलिये प्रार्थीया ग्राम कल्या[illegible] की सि[illegible] पटवार क्षेत्र कल्याणसिं
की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2/2मी. में से [illegible] अपने नाम को
दुरूस्त करवा कर खसरा नम्बर 2/2मी. के अग्रिम बट्टा नम्बर दर्ज क[illegible] रकबा 25-00 बीघा
भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है ग्राम कल्याणसिंह की सिड में से ग्राम
सिन्धीपुरा अलग नवसृजित ग्राम बन गया और खसरा नम्बर 3 सम्पूर्ण नवसृजित ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

सिन्धीपुरा में शामिल कर दिया जिससे प्रार्थीया के खसरा नम्बरर 3/2 रकबा 25-00 बीघा भूमि को भी ग्राम सिन्धीपुरा में शामिल कर दिया गया जो सरासर गलत है जबकि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्ब 3 का भाग नहीं होकर के खसरा नम्बर 2/2मी. का भाग है। खसरा नम्बर 3 का वक्त सेटलमेंट अनुसार कुल रकबा 2456-00 बीघा है जबकि वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 3 का कुल रकबा 2481-00 बीघा है जो वक्त सेटलमेंट के रकबा से 25 बीघा अधिक दर्ज और खसरा नम्बर 2 का वक्त सेटलमेंट अनुसार कुल रकबा 1798-04 बीघा है जबकि वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 2 का कुल रकबा 1773-08 बीघा है जो वक्त सेटलमेंट के रकबा से 25 बीघा कम दर्ज है इसलिये प्रार्थीया ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 3 में दर्ज अपने नाम को विलोपित करवा कर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 2 में रकबा 25-00 बीघा भूमि दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 2 में रकबा 25-00 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त खरीद के दिन से लेकर आज दिन संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत खसरा नम्बर 2 के सम्पूर्ण बट्टा नम्बरान की नक्शा लट्ठा में तरमीम करदी गई है इसलिये प्रार्थी ग्राम कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड क खसरा नम्बर 2 के वर्तमान नक्शा लट्ठा में की तरमीम को निरस्त करवा कर खरीद अनुसार प्राप्त कब्जा व काश्त में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न हिस्सा माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब मय नजरी नक्शा पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 65 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत [illegible] है

प्रार्थीया ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय [illegible] खसरा नम्बर 2/2 मी रकबा 25.00 बीघा भूमि प्रार्थीया [illegible] ग्राम खरीददार प्रार्थीया के पक्ष में में नियमानुसार नामान्तरण संख्या 249 मौजा [illegible]सिंह की सिड दिनांक 28.05.1990 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ। सम्वत 2043 से 2046 की जमाबंदी में खरीद अनुसार नामान्तरण का अमल दरामद किया गया। आगामी सम्वत 2047 से 2050

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

बनाते समय प्रार्थीया का नाम दर्ज खसरा नम्बर 3/2 मी दर्ज कर दिया। ग्राम कल्याण सिंह की सिड के नवसृजित ग्राम सिन्धीपुरा बन जाने पर खसरा नम्बर 3 सम्पूर्ण नवसृजित ग्राम सिन्धीपुरा मे शामिल कर दिया गया लेकिन प्रार्थीया कि भूमि खसरा नम्बर 2 में से निकाल कर खसरा नम्बर 3/2 मी दर्ज कर देने व राजस्व अभिलेख सिन्धीपुरा में शामिल कर दी गई जबकि ये भूमि ग्राम कल्याणसिंह की सिड की सरहद में है। वक्त सेटलमेंट मूल खसरा नम्बर 3 रकबा 2456.00 बीघा भूमि थी जो वर्तमान जमाबंदी में रकबा बढकर 2481.00 बीघा भूमि दर्ज है मूल खसरा नम्बर 2 वक्त सेटलमेंट 1798.04 बीघा भूमि दर्ज थी जो वर्तमान में मूल खसरा नम्बर 2 व बट्वा नम्बरान् सहित कम होकर 1773.04 बीघा दर्ज है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ग्राम सिंधीपुरा खसरा नम्बर 3 में गलत रूप से दर्ज नाम को विलोपित किया जाकर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 2 में अग्रिम बट्वा नम्बर दर्ज कर 25.00 बीघा भूमि पार्थीया के नाम दर्ज कर वर्तमान नक्शा लट्ठा में तरमीम को निरस्त की जाकर माफिक कब्जा, संलग्न नजरी अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम की जाती है तो किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थीया ने आराजी भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 12.05.1990 को खसरा नम्बर 2/2 मी रकबा 25.00 बीघा भूमि प्रार्थीया के नाम बंशी पत्नि बाबूराम खरीददार प्रार्थीया के पक्ष में में नियमानुसार नामान्तरण संख्या 249 मौजा कल्याणसिंह की सिड दिनांक 28.05.1990 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ। सम्वत 2043 से 2046 की जमाबंदी में खरीद अनुसार नामान्तरण का अमल दरामद किया गया। आगामी सम्वत 2047 से 2050 बनाते समय प्रार्थीया का नाम दर्ज खसरा नम्बर 3/2 मी दर्ज कर दिया। ग्राम कल्याण सिंह की सिड के नवसृजित ग्राम सिन्धीपुरा बन जाने पर खसरा नम्बर 3 सम्पूर्ण नवसृजित ग्राम सिन्धीपुरा मे शामिल कर दिया गया लेकिन प्रार्थीया कि भूमि खसरा नम्बर 2 में से निकाल कर खसरा नम्बर 3/2 मी दर्ज कर देने व राजस्व अभिलेख सिन्धीपुरा में शामिल कर दी गई जबकि ये भूमि ग्राम कल्याणसिंह की सिड की सरहद में है। वक्त सेटलमेंट मूल खसरा नम्बर 3 रकबा 2456.00 बीघा भूमि थी जो वर्तमान जमाबंदी में रकबा बढकर 2481.00 बीघा भूमि दर्ज है मूल खसरा नम्बर 2 वक्त सेटलमेंट 1798.04 बीघा भूमि दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

थी जो वर्तमान में मूल खसरा नम्बर 2 व बट्टा नम्बरान् सहित कम होकर 1773.04 बीघा दर्ज है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ग्राम सिंधीपुरा खसरा नम्बर 3 में गलत रूप से दर्ज नाम को विलोपित किया जाकर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 2 में अग्रिम बट्टा नम्बर दर्ज कर 25.00 बीघा भूमि पार्थीया के नाम दर्ज कर वर्तमान नक्शा लट्ठा में तरमीम को निरस्त की जाकर माफिक कब्जा, संलग्न नजरी अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम की जानी उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरा की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जानी उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 3 में दर्ज प्रार्थी के नाम को विलोपित किया जाकर ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 2 में अग्रिम बट्टा नम्बर दर्ज कर रकबा 25.00 बीघा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जाकर वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त करते हुवे नजरी नक्शा दिनांक 15.09.2022 अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पालना करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested